राजस्थान में जेण्डर बजट की समीक्षा तथा इसे और उपयोगी एवं प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव

नेसार अहमद

नोटः– यहां राज्य आयोजना समिति द्वारा जेण्डर बजट पर गठित कार्यकारी समूह के समक्ष रखे गए सुझावों को थोडे परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान में जेण्डर बजट

राजस्थान सरकार ने 2006–07 में पहली बार, राजस्व विभाग सहित, अपने 6 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया 2007–08 में भी 8 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया गया।

वर्ष 2009 में महिला एवं विकास विभाग में जेण्डर बजट सेल की स्थापना की गयी तथा 2010 में मुख्य सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति बनाई गयी ।

अगस्त 2011 में जारी की गयी बजट सर्कुलर में पहली बार जेण्डर बजट को लागू करने की बात की गयी।

अगले वर्ष राजस्थान बजट 2012–13 में जेण्डर बजट विवरण जारी किया गया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों को निम्नानुसार श्रेणी प्रदान की गई।

श्रेणी	महिला लाभार्थीयों का प्रतिशत
A	<70%
B	70-30%
C	30-10%
D	<10%

लेकिन श्रेणी कार्यक्रमों/योजनाओं को नहीं दे कर कार्यक्रमों/योजनाओं के गैर योजना, योजना तथा केंद्र प्रवर्तित योजना को अलग अलग दिया गया।

जेण्डर बजट विवरण 2012–13 का विश्लेषण

निम्न सारणी में जेण्डर बजट विवरण 2012–13 में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सभी कार्यक्रमों /योजनाओं के गैर आयोजना, आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को दी गई श्रेणीयों के अनुसार दिखाया गया है।

जेण्डर बजट विवरण 2012–13 के अनुसार योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण

	A	B	C	D	कुल
गैर योजना	28	145	17	38	228
प्रतिशत	12.28	63.60	7.45	16.66	100
योजना	61	318	136	82	597
प्रतिशत	10.21	53.26	22.78	13.73	100
केंद्र प्रवर्तित योजना	11	39	22	11	83
प्रतिशत	13.25	46.98	26.50	13.25	100

स्रोतः बार्क द्वारा जेण्डर बजट 2012–13 का विश्लेषण पर आधारित

जेण्डर बजट विवरण 2012–13 के अनुसार, लगभग एक–तिहाई कार्यक्रम/योजनाओं में 30ः से कम महिला लाभान्वित्त हैं।

केवल 13ः योजनाओं/कार्यक्रमों में 70ः से अधिक महिला लाभन्वित्त हैं तथा शेष कार्यक्रमों में 30–70ः महिला लाभान्वित्त हैं।

जेण्डर बजट विवरण 2012–13 के अनुसार, राज्य में कुल गैर योजना बजट 19ः योजना गत बजट का 33ः, तथा केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं में 51ः आवंटन को जेण्डर बजट आवंटन बताया गया है।

जेण्डर बजट विवरण 2012–13 की समस्याएँ

जेण्डर बजट 2012–13 में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है ना ही विभागवार बल्कि बजट फाइनलिजेशन कोमिटी (ठथ्ब्) वार सूचना दी गयी है।

लेकिन सरकार के बाहर किसी को यह पता नहीं होता कि किस विभाग में कितनी ठथ्ब् हैं, इस लिए किसी विभाग के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

योजनाओं/कार्यक्रमों को भी कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है, अतः किसी योजना/कार्यक्रम के बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

योजनाओं/कार्यक्रमों को श्रेणी लाभान्वित्तों में महिलाओं के अनुपात के आधार पर दिया गया है, परंतु इस में भी कई समस्याएँ हैं। उदाहरण के लिए–

तीनों बिजली वितरण कंपनियों के लिए आवंटित बजट में जेण्डर बजट का हिस्सा 40 प्रतिशत दिखाया गया है जो केवल अनुमान आधारित ही हो सकता है।

उसी तरह पंचायतों को आवंटित राशि के लिए भी ठ श्रेणी दी गयी है तथा इस में जेण्डर बजट का हिस्सा 42–45: दिखाया गया है। परन्तु यह राशि पंचायतों द्वारा खर्च की जानी है अतः इसमें महिला लाभार्थीयों का प्रतिशत अभी पाना मुश्किल है।

यह स्पष्ट नहीं है की किन मामलों में स्त्री एवं पुरूष लाभार्थियों के लिए ऑकड़े उपलब्ध हैं तथा किन मामलों में यह अनुमान आधारित है।

यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि महिला लाभार्थियों का दिया गया प्रतिशत पिछले वर्ष (2011–12) के ऑकड़ों पर आधारित हैं यह चालू वर्ष (2012–13) के लिए लक्ष्य है।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र के सुझाव

कुछ सामान्य मुद्दे

- महिलाओं कि भूमिका प्रजनन तथा उत्पादन दोनों ही से संबंधित है, अतः सरकार के सभी अंग/ सेवायें –सामान्य, सामाजिक, तथा आर्थिक सेवायें – उनके लिए महत्वपूर्ण हैं।
- यह भी महत्वपूर्ण है कि महिलाएँ एक समान समूह नहीं हैं तथा उनमें वर्ग, जात, आयु वैवाहिक स्थिति आदि जैसी विभिन्नताएं मौजूद हैं।
- **जेण्डर बजटिंग का उद्देश्य सभी कार्यक्रमों/योजनाओं को जेण्डर संवेदशीलता बनाना है न कि महिलाओं के कल्याण के कार्यक्रमों को ठीक से लागू भर करना।**

जेण्डर बजट विवरण को प्रभावी बनाने तथा राज्य में जेण्डर संवेदनशील बजट बनाने के लिये कुछ सुझाव

- **सभी विभागों को अपने गतिविधीयों के जेण्डर प्रभावों का अध्ययन करना चाहिये, तथा इसके आधार पर जेण्डर संवेदनशील बजट बनाया जाना चाहिए।**
- जेण्डर बजट विवरण विभागवार और/ या मुख्य शीर्षवार उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- श्रेणी पूरे योजना / कार्यक्रम को दी जानी चाहिए न कि उनके तीन भागों को।
- लाभार्थियों के लिंगवार ऑकड़े इकठ्ठा किए जाने चाहिए तथा उनको जेण्डर बजट का आधार बनाया जाना चाहिए।
- जेण्डर बजट विवरण को स्पष्ट करने हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण नोट दिया जाना चाहिए।
- जेण्डर बजट विवरण से कुछ स्पष्ट नीतिगत सुझाव निकालने चाहिए जैसे कि क्या किसी कार्यक्रम/ योजना में बजट बढ़ाने कि आवश्यकता है या योजना को लागू करने के तरीके मैं बदलाव कि जरूरत है।
- श्रेणी ठ का दायरा काफी बढ़ा (30–70:) है अतः इसे दो भागों में बांटा जा सकता है।
- **जेण्डर सेल/डेस्कः** सभी जेण्डर सेल/डेस्क बना सकते हैं जो निम्न कार्य कर सकता हैं।
  - संबंधित विभाग के योजनाओं/कार्यक्रमों में जेण्डर की दृष्टि से व्याप्त कमियों का अध्ययन करना।

- विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों को जेण्डर संवेदशील बनाने के उपाय बताना।
- विभाग के लिए जेण्डर बजट विवरण तैयार करना।
- यदि ज़रूरी हो तो नए कार्यक्रम बनाना।

- **सभी विभागों को अपने वार्षिक रिपोर्ट में जेण्डर संवेदशीलता पर एक अध्याय जोड़ना चाहिए।**
- राज्य के मुख्य सचित द्वारा हाल ही में जारी एक प्रपत्र में **जेण्डर तटस्थ** ;ळमदकमत दमनजतंस ैमबजवतेद्ध क्षेत्रों की चर्चा की गयी है।
- इन जेण्डर तटस्थ योजनाओं की महिलाओं पर होने वाले प्रभावों की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे :
  - शहरी विकास/शहरी नियोजना में शहरों में महिलाओं के लिए जन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उपाय किए जा सकते हैं।
  - आधारभूत संरचना वाले परियोजनाओं (सड़क, बांध, सिंचाई आदि) में रोजगार सृजन में महिलाओं का हिस्सा तथा कार्य स्थिति को महिला मजदुरों के अनुकुल बनाने के प्रयासों को जेण्डर बजट का आधार बनाया जा सकता है।
  - गृह विभाग पुलिस को जेण्डर संवेदनशीलता तथा महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों पर प्रशिक्षण करवा सकता है।
- कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थियों में महिलाओं की संख्या के बजाय उन कार्यक्रमों के उद्देश्यों को जेण्डर बजट का आधार बनाया जा सकता है। जैसे पुलिस का जेण्डर संवेदशीलता प्रशिक्षण
- जेण्डर तटस्थ कार्यक्रमों की संख्या अत्यंत सीमित होनी चाहिए है।

राजस्व विभाग

- भू राजस्व तथा अन्य राजस्व विभागों को भी अपनी नीतियों के जेण्डर प्रभाओं का आंकलन करना चाहिए।
- डदाहरण के लिए भू राजस्व नीति क्या महिलाओं के संपति के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
- क्या एकल व विधवा महिलाओं के भू अधिकारों का संरक्षण किया जा रहा है।
- अन्य राजस्व, जैसे उपयोग शुल्क – कहीं यह महिलाओं की उन सेवाओं तक पहुँच कम तो नहीं कर रहे हैं।